अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 144/2019
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वदी	बनाम	प्रतिवादी
1. मदाराम पुत्र समरथाराम, जाति–भील, नि0 रावत का गांव तह0 शिव		1. तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 22.11.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रावत का गांव पटवार क्षेत्र हाथीसिह का गांव, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 101/21 रकबा 23 बीघा व खसरा नम्बर 104/21 रकबा 75 बीघा कुल रकबा 98 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मेन्द्रा पुत्र समरथाराम के स्थान पर मदाराम पुत्र समरथाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 22.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम … हुक्म की … में जारी हु…
13/11/19	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप। तहसीलदार शिव से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 22/11/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
22/11/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा रावत का गांव पटवार क्षेत्र हाथीसिह का गांव तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 101/21 रकबा 23 बीघा व खसरा नम्बर 104/21 रकबा 75 बीघा कुल रकबा 98 बीघा का आया हुआ है। मादाराम भूमिहीन कृषक होने के कारण राज्य सरकार के आदेश पर तहसीलदार शिव द्वारा अपने आदेश क्रमांक राज/76/412 दिनांक 11.05.1976 को खसरा नम्बर 21/7, 21/4 कुल रकबा 98 बीघा मौजा रावत का गांव आंवटित कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 09.06.1976 को वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा भूमि आवंटन के समय वादी का नाम मदाराम के स्थान पर घरेलू बोलचाल के हिसाब से गलत नाम मेन्द्रा अंकित करवा दिया तथा उक्त आवंटन के आधार पर रजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम मेन्द्रा दर्ज कर दिया गया। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारि किये गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जवाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, वर्तमान जामाबन्दी, नामान्तकरण पंजिका व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादी के सही नाम मदाराम पुत्र समरथाराम के स्थान पर मेन्द्रा पुत्र समरथाराम दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रावत का गांव पटवार क्षेत्र हाथीसिह का गांव, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 101/21 रकबा 23 बीघा व खसरा नम्बर 104/21 रकबा 75 बीघा कुल रकबा 98 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मेन्द्रा पुत्र समरथाराम के स्थान पर मदाराम पुत्र समरथाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाड़मेर सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: